

## क्लस्टर युद्ध सामग्री

संयुक्त राज्य अमेरिका (US) ने यूक्रेन को 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक के नए सैन्य सहायता पैकेज के हिस्से के रूप में [क्लस्टर हथियार](#) प्रदान करने का नरिणय लया है।

- इस कदम ने नागरिक हताहतों के वषिय में चतिा बढा दी है, [संयुक्त राषट्र](#) ने ऐसे हथयारों के इस्तेमाल से बचने का आह्वान कया है।

## क्लस्टर युद्ध सामग्री:

### ■ परचिय:

- क्लस्टर युद्ध सामग्री वमिान से गरिए जाने वाले या ज़मीन से छोड़े जाने वाले वसिफोटक हथयार का एक रूप है जो एक वसितृत क्षेत्त्र में छोटे सबमशिान, जिन्हें आमतौर पर बम के रूप में जाना जाता है, के अनुप्रयोग से है।
- वे मनुष्यों को घायल करने या मारने और रनवे, रेलवे या पावर ट्रांसमशिान लाइनों तथा अन्य लक्ष्यों को नषट करने के लयि डजिाइन कयि गए हैं।

### ■ चुनौतयिाँ:

- क्लस्टर युद्ध सामग्री अंतरराषट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करते हुए नागरकियों और वस्तुओं को अत्यधिक हानि पहुँचा सकती है।
  - उनकी वफिलता दर उच्च है, वे अपने पीछे बना वसिफोट वाले आयुध छोड़ जाते हैं जो लगातार खतरा उत्पन्न करते हैं।
- इसके अतरिकित वे लंबे समय तक वशिाल क्षेत्त्रों को प्रदूषति करते हैं, जसिसे वे मानव उपयोग के लयि अनुपयुक्त हो जाते हैं, साथ ही ये प्रभावति देशों में स्वास्थय देखभाल और अर्थव्यवस्था पर बोझ बढाते हैं।

### ■ पहले के प्रयोग:

- वर्ष 2001 में अफगानसिान युद्ध के दौरान अमेरिका ने क्लस्टर बमों को महत्त्वपूर्ण माना था।
- अमेरिका ने अंतमि बार वर्ष 2003 में इराक के साथ युद्ध के दौरान क्लस्टर बमों का प्रयोग कया था
- सीरयिाई गृहयुद्ध में रूस द्वारा भेजी गई सरकारी सेना प्रायः क्लस्टर युद्ध सामग्री प्रयोग करती थी।
- इज़रायल ने दक्षणि लेबनान के नागरक क्षेत्त्रों में क्लस्टर बमों का उपयोग कया, वशिष रूप से वर्ष 2006 में हजिबुल्लाह के साथ युद्ध के दौरान।
- यमन में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन को हौथी वदिरोहयिों के साथ अपने संघर्ष में क्लस्टर बमों का उपयोग करने के लयि आलोचना का सामना करना पड़ा।

### ■ क्लस्टर युद्ध सामग्री पर अभसिमय:

- क्लस्टर युद्ध सामग्री पर अभसिमय नागरक आबादी पर पड़ने वाले दीर्घकालक प्रभावों के कारणइन हथयारों के उपयोग, उत्पादन, हस्तांतरण और भंडारण को गैर-कानूनी घोषति करता है।
- इसे 30 मई, 2008 को डबलनि में 107 देशों द्वारा अपनाया गया और 3 दसिंबर, 2008 को ओसलो में इस पर हस्ताक्षर कयि गए।
- 1 अगस्त, 2010 से लागू होने के कारण यह अभसिमय एक बाध्यकारी अंतरराषट्रीय कानून बन गया।
- अभी तक कुल 123 देश इस अभसिमय में शामिल हो चुके हैं जसिमें 111 सदस्य देश और 12 हस्ताक्षरकर्त्ता हैं।
- इस अभसिमय पर भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूक्रेन, पाकसिान और इज़रायल सहति कई देशों ने हस्ताक्षर नहीं कयि हैं।

## [सरोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)